




फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड नाम रायपुर

पालखण्ड, चाकसू (जयपुर)

या 17/12/23

दिनांक आह्रा या कार्यवाही	आह्रा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6/12/22	<p>प्रार्थना. पत्र वकील प्रार्थी ने पेश किया। रिपोर्ट खरिस्ता होकर पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी उप. हैं। वकील प्रार्थी को मुना गया वपत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीया को अस्थायी निषेधाज्ञा ले पाबन्द किया जाता है कि वकील प्रार्थी तह. चाकसू के अतरा न. 312, 408, 409, 410, 515/96, 516/96 किता 6 रुकवा 3.14 है. जे अग्रार्थिगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में किती उन्कर की दखलदापी न करे। इस बाबत. कोई आपत्ति हो तो हाजीर अदालत होकर अपना ऊफ्र पेश करे। अग्रार्थिगण की तलवी जर्ने Regy. A D से जावे कर पत्रावली दिनांक 10/11/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) </p>	
10/11/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. हैं। इन्तजाट तामील पत्रावली दिनांक 18/11/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी  उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) </p>	
18/11/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील को मांगमालू 6pm तक बार-बार आवाज लगाने के बावजूद कोई हाजीर अदालत नहीं आया। न ही वादी की ओर से अन्य कोई पैरवी करने हाजीर अदालत आया। क्रम: प्रा. पत्र अहम हाजरी एवं अहम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली वाद तहमील दायित्व दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी  उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) </p>	